न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपील वाद संख्या--25/2018
महेश्वर प्रसाद सिंह --बनाम-- सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18/10/2019 24/12/19	**आदेश** अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद अनुज्ञापन पदाधिकारी--सह--अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 769 दिनांक 27.12.17 से अपीलार्थी महेश्वर प्रसाद सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत--जाले उत्तरी, प्रखंड--जाले, जिला--दरभंगा के अनुज्ञप्ति सं0--08/2016 को रद्द किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त करने का निदेश दिया गया। तदालोक में निम्न न्यायालय का अभलेख प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी --सह--अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 769 दिनांक 27.12.17 बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में सन्निहित प्रावधान कंडिका 27 (ii) एवं अन्य सैधान्तिक निर्णयों का विशिष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संलग्न साक्ष्य की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने की कृपा की जाय। उक्त कथन के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 585 दिनांक 08.11.17 से स्पष्टीकरण की पृच्छा की गयी एवं तदनुसार अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 15.11.17 को समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्य यथा--भंडार पंजी, कैशमेमो, उठाव की गयी खाद्यान्नों का वितरण किया जाना एवं कुल 18 लाभुकों द्वारा दिये गये शपथ पत्र एवं अन्य के गुणदोष की विवेचना किये बिना ही अनुज्ञापन पदाधिकारी प्रश्नगत् आदेश पारित किये हैं जो कि नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि समर्पित जाँच प्रतिवेदन के साथ कथित लाभुकों का बयान संलग्न किया गया है, जिसका लाभुकों के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से खंडन किया गया है कि उन्हें विक्रेता से प्रत्येक माह खाद्यान्न उचित दर एवं मात्रा में दिया जाता रहा है। प्रश्नगत् आदेश में अंकित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जाले के पत्रांक 226 दिनांक 22	

जाने की बात सही है। समर्पित स्पष्टीकरण के साथ संलग्न भंडार पंजी एवं अन्य साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि दिनांक 05.09.17 को खाद्यान्न का वितरण किया गया है। उक्त सभी नियामक तथ्यों की समुचित व्याख्या किये बिना एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्रवाई किये बिना ही अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है, जो स्थापित विधि एवं नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1175/कृषि दिनांक 03.11.17, समर्पित स्पष्टीकरण एवं संलग्न सक्ष्य, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जाले का पत्राक 226 दिनांक 22.12.17 एवं प्रश्नगत् आदेश ज्ञापांक 769 दिनांक 27.12.17 से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अधिरोपित आरोप के अनुरूप संतोषजनक नहीं पाया गया तथा अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति शर्त्तों का उल्लंघन किया गया।

अतएव सम्यक रूप से विचारोपरान्त अनुज्ञापन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 769 दिनांक 27.12.2017 को न्यायोचित पाया गया, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा